न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–156/2022

सुकई महतो.....वादी

बनाम

कोलाई महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
09.08.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से दो आवेदन दिनांक 04.12.2023 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 09.08.2024 को सुना। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 04.12.2023 अंर्तगत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादग्रस्त भूमि मुन्दर्जे मद सं0–02 अर्जी नालिश पर अपने हकियत की घोषणा, दखल कब्जा वापसी के साथ–साथ अन्य अुनतोष हेतु दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण के समन के उपरांत प्रतिवादी सं0–01 दिनांक 30.06.2023 को उपस्थित हुए एवं दनिांक 01.08.2023 को अपना बयान तहरीरी दाखिल किया है। वादी द्वारा निबंधन कार्यालय बेतिया में खोजबीन करने पर एक बयनामा निष्पादित दिनांक 25.11.2022 निबंधन दिनांक 26.11.2022 वनिस्पत सय एराजी कोलाई महतो बनाम क्षमा देवी, आशा देवी, प्रभा देवी एवं सोना देवी का पता चला जिसका नकल वादी ने दिनांक 10.10.2023 को प्राप्त किया तो उपरोक्त फर्जी दस्तावेज का पता चला। तथाकथित बयनामा दस्तावेज दिनांक 25.1.2022/26.11.2022 बिल्कुल नाजायज, गैरकानूनी, बिना दाम का बेकार, बेअसर एवं शुन्य है लेहाजा वादपत्र में उचित कथन करते हुए उपरोक्त दस्तावेज के विरूद्ध एक घोषणात्मक माँग करना आवश्यक है। लेहाजा यह संशोधन आवेदन दिया जा रहा है। प्रस्तुत संशोधन औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलवा नही हो रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के संशोधन आवेदन को	

न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–156/2022

सुकई महतो.....वादी

बनाम

कोलाई महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 09.08.2024	स्वीकार करने की कृपा करें तथा आवेदन अंतर्गत आदेश 01 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता में कहा गया है कि वादी द्वारा निबंधन कार्यालय बेतिया में खोजबीन करने पर एक बयनामा निष्पादित दिनांक 25.11.2022 निबंधन दिनांक 26.11.2022 वनिस्पत सय एराजी कोलाई महतो बनाम क्षमा देवी, आशा देवी, प्रभा देवी एवं सोना देवी का पता चला जिसका नकल वादी ने दिनांक 10.10.2023 को प्राप्त किया तो उपरोक्त फर्जी दस्तावेज का पता चला। लेहाजा तथाकथित खरीददार को प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–04 ता 07 प्रतिवादी तृतीय पक्ष के रूप में पक्षकार बनाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति आवेदन के साथ दाखिल किया जा रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि तथाकथित बयनामा निष्पादन दिनांक 25.11.2022 निबंधिता दिनांक 26.11.2022 के आलोक में तथाकथित खरीददार को प्रतिवादी सं0–04 ता 07 तृतीय पक्ष के रूप में पक्षकार बनाने का आदेश देने की कृपा की जाय। इसके लिए वादी श्रीमान् का सदैव आभारी रहेगा। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन पर अनापत्ति दर्ज किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवकतागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद उपस्थिति हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना	

न्यायालय–प्रशांत कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–156/2022

सुकई महतो.....वादी

बनाम

कोलाई महतो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 09.08.2024	प्रतीत नही होता है लेकिन वादी के द्वारा अगर वादपत्र दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 04.12.2023 स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें तथा प्रतिवादी सं0–01 ने अपने बयान तहरीरी में यह स्वीकार किया है कि अपने पुत्रियों के पक्ष में वादग्रस्त भूमि बयनामा किया है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी व्यक्तियों को वाद में पक्षकार बनाया जाना चाहिए जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। उपरोक्त क्रेतागण प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 04.12.2023 को मो0–2000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन में वर्णित क्रेताओं को प्रतिवादी कॉलम में क्रमानुसार पक्षकार बनावें। अतः वादी की ओर से दाखिल दोनों आवेदन निष्पादित किया जाता है। वाद दिनांक 10.09.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	